Government of Rajasthan
Directorate of Local Bodies, Jaipur
G-3, Rajmahal Residency Area, Civil Line Phatak, 22 Godown, C-Scheme jaipur
Telefax: 0141-2222403 Email- dlbrajasthan@gmail.com

File No.:- F.59. STP/DLB/Building-B. Laws/ (41) /16/ 285 **Date :** 28.04.2016

Order

In respect of Model Rajasthan Bhawan Viniyam, 2013 (For Class 1 Cities excluding Jaipur, Jodhpur & Bhiwadi), Model Sthaniya Nikay (Nagriya Kshetra) Bhawan Viniyam, 2010, Jaipur Development Authority (Jaipur Region Building) Byelaws, 2010, Jodhpur Development Authority Building Byelaws, 2013 & Greater Bhiwadi Byelaws, 2013 action on the following provisions shall be taken and displayed on website by concerned Local Authority within a period of 30 days:-

1. Provision for registration of technical experts - Architects, engineers, Town Planners is made with desired qualification. Under the Provisions of above mentioned building byelaws responsibilities and penalties are also prescribed for registered technical experts. All Competent Authorities shall register technical expert as per the provisions of building byelaws.
2. Approval procedure, checklist and timeline for approval of building plans shall be prepared and display in a separate link on website.
3. Implement a system that allows application and payment for approval of building plans.

(Sanchita Bishnoi)
Director, Local Bodies cum Special Secretary

File No.:- F.59. STP/DLB/Building-B. Laws/ (41) /16/ 286-93 **Date :** 28.04.2016

Copy to the following for information:

1. PS to Principal Secretary, Local Self Government Department, Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur.
3. Commissioner, Municipal Corporation, Bikaner/Jaipur/Jodhpur/Ajmer /Kota/Udaipur/Bharatpur.
4. Deputy Director (Regional), Bikaner/Jaipur/Jodhpur/Ajmer/Kota /Udaipur/Bharatpur.
5. Commissioner, All, Municipal Council.
6. Executive Officer, All Municipalities.
7. System Analyst cum Joint Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur.
8. CMAR.

(R.K.Vijayvargia)
Senior Town Planner

<u>मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2013 एवं 2010 में भवन मानचित्र के अनुमोदन हेतु, आर्किटेक्ट्स एवं इंजीनियर्स की अर्हताऐं (Qualafication), Self Certification तथा दायित्व (Liabilitities) का निर्धारण क्रमशः प्रावधान संख्या 18.2 से 18.6 तक एवं 16.1 से 16.6 तक निम्नानुसार किया गया हैं :–</u>

(i) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का सहयुक्त सदस्य।

अथवा

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुविद डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा।

अथवा

(iii) काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की सदस्यता के लिये पात्र बनाने वाली ऐसी अर्हताएं जैसी कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 की अनुसूची II में सूचीबद्ध है।

अथवा

(iv) इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स की नियमित (कारपोरेट) सदस्यता (सिविल)/ इंस्टीटयूट ऑफ टाउन प्लानर इण्डिया, नई दिल्ली का एसोसिएट मेम्बर।

अथवा

(v) सिविल या संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) अभियांत्रिकी में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा।

अथवा

(vi) आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तथा वास्तविक/सिविल अभियंता के अधीन दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

(vii) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और वास्तुविद/सिविल अभियन्ता के अधीन पांच वर्ष का अनुभव।

अथवा

(viii) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टमैन और वास्तुविद/सिविल अभियंता के अधीन पांच वर्ष का अनुभव।

परन्तु उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के समूह को भी पंजीकृत किया जा सकेगा जो फर्म, कम्पनी या समिति का गठन कर व्यवसाय कर रहे हों।

<u>सक्षमता</u>

विनियम संख्या 18.2 (i), (ii), (iii) व (iv) के अन्तर्गत उल्लेखित तकनीकीविज्ञ सभी प्रकार व क्षेत्रफल के भवनों हेतु मानचित्र और संबंधित सूचना देने के हकदार होंगे।

विनियम संख्या 18.2 (v) के अन्तर्गत उल्लेखित तकनीकीविज्ञ 200 व.मी. कुर्सी क्षेत्र तक के तथा 15 मी. ऊंचाई तक के सभी प्रकार के भवनों हेतु मानचित्र और संबंधित सूचना देने के हकदार होंगे।

विनियम संख्या 18.2 (i), (ii), (iii), व (iv) के अन्तर्गत उल्लेखित तकनीकीविज्ञ 100 व. मी. कुर्सी क्षेत्र तक के तथा 8 मी. ऊंचाई तक के सभी प्रकार के भवनों हेतु मानचित्र और संबंधित सूचना देने के हकदार होंगे।

<u>पंजीकरण की प्रक्रियाः–</u>

निर्धारित अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने अनुभव एवं अर्हताओं के प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ फीस भी निम्नानुसार जमा करेगा जो कि लौटाई नहीं जायेगी। विनियम 18 (i) से (iii) व (iv) तक अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति/फर्म रु. 5000/– वार्षिक फीस, विनियम 18 (v) अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति/फर्म रु. 2500/– वार्षिक फीस, विनियम 18(vi) से (viii) तक अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति/फर्म रु. 1000/– वार्षिक फीस।

<u>पंजीकृत तकनीकीविद का दायित्वः–</u>

पंजीकृत तकनीकीविद का दायित्व होगा कि भवन के निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने की अवस्था में भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था एवं भवन में अपेक्षित सभी सेवाएं जहां कहीं भी इन विनियमों में अपेक्षित है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया व नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार निष्पादित करे भवन निर्माण यदि विनियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन की जिम्मेदारी भवन निर्माता/अनुज्ञाधारी की होगी। पंजीकृत तकनीकीविद का यह भी दायित्व होगा कि भवन निर्माण पूर्ण होने तक यदि कोई अवैध निर्माण किया जाता है तो समय–समय पर नगर निगम/न्यास/परिषद् को सूचित करेगा।

<u>पंजीकृत वकील का दायित्वः–</u>

इन विनियमों के अन्तर्गत स्वामित्व को प्रमाणित करने हेतु वकील को दस वर्ष का अनुभव (बार कौंसिल द्वारा जारी) प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन हेतु नगर निगम/नगर परिषद्/नगर विकास न्यास को रु. 5000/– देय शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। वकील द्वारा जारी स्वामित्व के प्रमाण पत्र में दोष पाये जाने पर बार कौंसिल को संबंधित वकील के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा। प्रथम मंजिल तक के आवासीय भवनों के लिये स्वामित्व की जांच की कार्यवाही वकील के स्वयं के स्तर पर की जाकर प्रमाण पत्र आवेदक को जारी किया जावेगा एवं अन्य प्रकरणों जिसमें नगर निगम/नगर परिषद्/नगर विकास न्यास के स्तर पर विभिन्न प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जानी है उन मामलों में भी विनियमों में निर्धारित फीस ली जाकर स्वामित्व का प्रमाण पत्र वकील द्वारा ही जारी किया जावेगा। स्वामित्व का प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।